

गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी पर जी0एस0टी0 (प्रश्नोत्तरी)



वीर सिंह
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील)
वाणिज्य कर, गोण्डा।
मोबाईल नम्बर :- 7235003203

प्रश्न 1 :- यह गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी (GTA) क्या है ? क्या यह जी0एस0टी0 के अन्तर्गत परिभाषित है ?

उत्तर :- जी0एस0टी0 के अन्तर्गत GTA परिभाषित नहीं है परन्तु Chapter V of Finance Act 1994 की धारा 65 B(26) के अन्तर्गत इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :-

"Goods Transport Agency means any person who provides services in relating to transport of goods by road and issue consignment note, by whatever name called."

प्रश्न 2 :- क्या **Consignment Note** जारी करने का कोई प्रारूप जी0एस0टी0 के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है ?

उत्तर :- हाँ। इन्वाइस नियम 54(3) में व्यवस्था की गई है कि GTA कर योग्य आपूर्ति करते समय टैक्स इन्वाइस या इसके बदले कोई अन्य डॉक्यूमेन्ट (चाहे जिस नाम से पुकारा जाय) जारी कर सकता है जिसमें कन्साइन्मेन्ट का सकल वजन (Gross Weight), कन्साइनर एवं कन्साइनी के नाम, पंजीयन संख्या, परिवहित किये जा रहे माल का विवरण, उद्गम एवं गंतव्य स्थान का विवरण तथा उस व्यक्ति का GSTIN जो कर अदा करने का जिम्मेदार है, (कन्साइनर, कन्साइनी या GTA स्वयं जैसी भी स्थिति हो) अवश्य अंकित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त टैक्स इन्वाइस की अन्य requirements भी अंकित होगी।

प्रश्न 3 :- प्रश्न 02 के उत्तर में बताया गया है कि उस व्यक्ति का GSTIN अंकित करना पड़ेगा जो टैक्स का दायी है। इसमें कन्साइनर, कन्साइनी तथा GTA तीनों को उल्लिखित किया गया है। क्या तीनों पर कर दायित्व हो सकता है ? स्थितियां उदाहरण सहित बतायें।

उत्तर :- GTA द्वारा निम्न को सर्विस प्रदान करते समय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के अन्तर्गत सर्विस प्राप्तकर्ता के हाथों कर देय है :-

A - Any factory registered under or governed by the Factories Act 1948.

B - Any society registered under the Societies Registration Act 1860 or under any other law for the time being in force in any part of India .

C- Any Co-operative society established by or under any law.

D- Any person registered under CGST/SGST/UTGST Act .

E- Any body corporate established, by or under any law.

F- Any partnership firm whether registered or not under any law including association of persons.

G- Casual taxable dealer .

अतः GTA से सेवायें प्राप्त करते समय जो सेवायें प्राप्त करता है (विक्रेता अथवा क्रेता) वही GST भी अदा करने का दायी होगा। तात्पर्य यदि कन्साइन्मेंट नोट (C/N) 'Freight paid' (भाड़ा अदा किया जा चुका है) लिखकर बनाया गया है तो माल का विक्रेता कर अदा करेगा और यदि कन्साइन्मेंट नोट (C/N) "To pay" (भाड़ा अदा किया जाए) लिखकर बनाया गया है तो माल का विक्रेता कर अदा करेगा और यदि कन्साइन्मेंट नोट (C/N) "To pay" (भाड़ा अदा किया जाए) लिखकर बनाया गया है तो माल का क्रेता GST अदा करेगा।

परन्तु यदि GTA की सेवा उक्त के अतिरिक्त अन्य को प्रदान की गयी है, उदाहरणार्थ अपंजीकृत व्यक्ति को की गई है, तो GTA स्वयं कर का दायी होगा।

प्रश्न 4:— तो क्या GTA को पंजीयन भी लेना पड़ेगा ?

उत्तर :— यदि GTA केवल प्रश्नोत्तर 03 में उल्लिखित 07 प्रकार के व्यक्तियों को ही सेवा प्रदान करता है तो उसे पंजीयन लेने की आवश्यकता नहीं है (देखें Notification KA- NI-2-753/X1-9(15)/17-UP ACT-1-2017-order (03)-2017 dated 21 June 2017) परन्तु यदि इनसे भिन्न व्यक्ति को सेवा प्रदान करता है और एग्रीगेट टर्नोवर 20 लाख/10 लाख से अधिक होता है तो उसे पंजीयन लेना होगा।

प्रश्न 5:— RCM का अर्थ क्या है ? उदाहरण सहित बतायें।

उत्तर:— RCM का प्रावधान धारा 9(3) एवं 9(4) एस0जी0एस0टी0 में किया गया है। जहां सप्लायर के बजाय प्राप्तकर्ता को कर जमा करना होता है। किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अपंजीकृत व्यक्ति से माल/सेवाओं की सप्लाई प्राप्त किये जाने की स्थिति में अथवा ऐसे माल या सेवाओं पर जिन्हें विज्ञापित कर दिया जाये, ये प्रावधान लागू होते हैं। मान लिया जाय सेवा/माल की सप्लाई रू0 5,000.00 की है जिस पर 5 प्रतिशत की दर है। सामान्य स्थिति में सप्लायर प्राप्तकर्ता से रू0 5,250.00 वसूल कर रू0 250.00 सरकार के खाते में जमा करेगा। रिवर्स चार्ज की स्थिति में प्रदाता, प्राप्तकर्ता से मात्र रू0 5,000.00 वसूलेगा। रू0 250.00 प्राप्तकर्ता को स्वयं सरकार के खाते में जमा करने होंगे।

प्रश्न 6:— GTA द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर कितने प्रतिशत कर देयता है ?

उत्तर:— 05 प्रतिशत (लेकिन आई0टी0सी0 का लाभ नहीं)

प्रश्न 7:— क्या प्राप्तकर्ता इसकी आई0टी0सी0 का लाभ नहीं ले सकता ?

उत्तर:— सप्लायर नहीं ले सकता। प्राप्तकर्ता को आई0टी0सी0 का लाभ मिलेगा।

प्रश्न 8:— यदि GTA को कोई वाहन माल की दुलाई हेतु किराये पर देता है तो क्या उसे इस किराये पर कर अदा करना पड़ेगा ?

उत्तर:— नहीं।

प्रश्न 9:— क्या GTA द्वारा सभी माल की दुलाई कर योग्य है ?

उत्तर:— नहीं।

प्रश्न 10:— वे कौन-2 से माल हैं जिनकी दुलाई कर योग्य नहीं है ?

उत्तर:— A-Agriculture produce

B- Goods where gross amount charged for the transportation of goods on a consignment transported in a single carriage does not exceeds one thousand five hundred rupees .

C- goods where gross amount charged for transportation of all such goods for a single consignee does not exceed rupees seven hundred fifty .

D- milk, salt and food grain including flour, pulses and rice.

E- organic manure .

F- news paper or magazines registered with the Registrar of newspaper.

G- relief material meant for victims of natural or man-made disasters, calamities, accidents or mishap , or

H- defence or military equipments.

प्रश्न 11:- यह composite supply का क्या concept है ?

उत्तर :- धारा 2(30) में composite supply को परिभाषित किया गया है :-

‘composite supply’ means a supply made by a taxable person to a recipient consisting of two or more taxable supplies of goods or services or both or any combination thereof, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in ordinary course of business, one of which is a principal supply.

Composite supply के मामलों में Tax treatment principal supply के अनुसार होता है। जो कर की दर principal supply की होगी वही कर की दर Composite Supply की सम्पूर्ण राशि पर आरोपित होगी। GTA के मामलों में यदि माल की सप्लाई F.O.R. की जाती है, तो principal supply, माल की होगी और तदनुसार कर की दर निर्धारित होगी।

प्रश्न 12:- यदि कर RCM के अनुसार माल के प्राप्तकर्ता को देना हो और GTA द्वारा चार्ज करके जमा कर दिया जाता है तो क्या प्राप्तकर्ता का कर जमा करने का दायित्व समाप्त हो जायेगा ?

उत्तर:- नहीं। POT (Point of Tax) change नहीं किया जा सकता, इससे प्राप्तकर्ता की कर जमा करने की liability discharge नहीं हुई।

प्रश्न 13:- क्या कोरियर कम्पनी के मामलों में भी RCM लागू होगा ?

उत्तर :- नहीं।

प्रश्न 14:- यदि सेवाओं का प्राप्तकर्ता जम्मू एण्ड कश्मीर (Non Taxable Territory) का व्यक्ति है तो GTA द्वारा माल की दुलाई की स्थिति में Tax का दायी कौन होगा ?

उत्तर:- GTA स्वयं

प्रश्न 15:- एक GTA उत्तर प्रदेश से माल हरियाणा ले जाता है और फिर हरियाणा से दूसरा माल वापस लाता है। उत्तर प्रदेश से हरियाणा ले जाते समय 'To Pay' का कन्साइन्मेंट नोट जारी करता है और हरियाणा से वापसी में 'Freight paid' का। दोनों स्थितियों में अलग-अलग बताये कर दायित्व किसका है ?

उत्तर:- सर्विस प्राप्त करने वाले व्यक्ति का। यदि वह प्रश्नोत्तर 03 की सातों श्रेणियों में नहीं आता तो GTA का।

प्रश्न 16:- एक कम्पनी एक **GTA** को दो कन्साइन्मेंट का माल भेजता है। एक का भाड़ा रू0 900.00 एवं एक का भाड़ा रू0 500.00 है। एक ट्रक से केवल इतना ही माल परिवहित किया जाता है तो क्या कर अदा करना पड़ेगा ?

उत्तर:- नहीं। देखें प्रश्नोत्तर 10 का क्रमांक-B

प्रश्न 17:- एक कम्पनी माल में 2000 मिनी ट्रकों से माल प्रति ट्रक रू0 1,400.00 भाड़े की दर से माल परिवहन करती है तथा 5000 ट्रक प्रति ट्रक रू0 1,800.00 भाड़े की दर से माल भेजती है। उक्त समस्त माल का परिवहन **Freight Paid** कराती है। कितनी राशि पूरे माह में कर योग्य होगी और कितना कर अदा करना पड़ेगा ?

उत्तर:- कर योग्य टर्नओवर $5000 \times 1800 = 90,00,000 = 90$ अर्थात् 90 लाख। कम्पनी 90 लाख पर 5 प्रतिशत अर्थात् रू0 4,50,000.00 कर अदा करेगी।

प्रश्न 18:- क्या कोई व्यक्ति **RCM** पर बनने वाले कर दायित्व का समायोजन अपने क्रेडिट बैलेन्स से कर सकता है?

उत्तर:- नहीं। RCM पर बनने वाला कर अलग से जमा करना होगा।

प्रश्न 19:- **GTA** के मामले में माल की दुलाई सम्बन्धी सेवा के लिए **POS (Place of supply)** कहाँ होगा ?

उत्तर:- पंजीकृत एवं अपंजीकृत के मामलों में निम्न प्रकार होगा:-

(1) a registered person, shall be the Location of such person.

(2) a person other than registered person, shall be the Location at which such goods are handed over for their transportation.

नोट - यह मेरा व्यक्तिगत मत है जिससे सभी का सहमत होना आवश्यक नहीं है।